

6-8-18

आज यह पत्रावली प्रार्थी मलकीत सिंह के प्र.पत्र पर पेशी में ली गयी। वकील प्रार्थी मय प्रार्थी स्वयं मलकीत सिंह उप. होकर प्र.पत्र प्रस्तुत किया कि हमारा पंचायत में राजीनामा ही गया है, अब प्रार्थना फलाना नहीं चाहता है, न ही प्र.पत्र पर कोई कार्यवाही चाहता है। मौजूदा सूरत में प्र.पत्र वापिस लेना चाहता है। अतः प्रार्थी के प्र.पत्र के आधार पर प्रार्थी का प्र.पत्र मौजूदा सूरत में खारिज किया जाता है पूर्व में दिनांक 24-05-18 को जारी स्वयंसेवा आदेश को भी खारिज किया जाता है पत्रावली नियमानुसार फैसले में हुमाद होकर दाखिल दफ्तर है।

राज  
 मलकीत सिंह

प्रिय

6/8/18

उपखण्ड अधिकारी  
 रायसिंहनगर